न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/216/2014

उनवान

1. देवा पिता धन्ना तेली निवासी मारवों का खेडा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. बालू पिता धन्ना तेली निवासी मारवों का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. लादू पिता धन्ना तेली निवासी मारवों का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. रामा पिता धन्ना तेली निवासी मारवों का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. श्यामा पिता धन्ना तेली निवासी मारवों का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. मोहन पिता धन्ना तेली निवासी मारवों का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
6. मोडा पिता कजोड तेली निवासी मारवों का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 300/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.3.2012

अधिवक्तागण :–

1. श्री बी एल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1,
3. श्री लादू लाल गुर्जर अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. श्री विजय जीनगर, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 6
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 बालू/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मारवों का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा तहसील आसीन्द के गत सेटलमेण्ट की आराजी नम्बर 374/58 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि जमाबंदी संवत 2035 से 2038 के अनुसार राजस्व रेकार्ड में देवा, बालू, लादू, रामा, श्यामा, मोहन पिता धन्ना , मु0 नन्दु बेवा धन्ना, व मोडा पिता कजोड तेली के नाम पर दर्ज होकर संयुक्त कब्जेकाश्त में है। हाल राजस्व रेकार्ड में सेटलमेंण्ट द्वारा वादी की आराजी के नये नम्बर 432, 433 व 435 दर्ज किये गये जिसमें से आराजी नम्बर 433 व 435 वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम कर दिये गये। परन्तु हाल सेटलमेण्ट में गलत एवं अवैध रूप से आराजी नम्बर 432 रकबा 0.21 हे0, को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जिसे वादी पुनः अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः वादग्रस्त आराजी नम्बर 432 रकबा 0.21 हे0 का खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को दर्ज किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को यथासमय नहीं हो सकी। चूंकि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की प्रोपर तामील नहीं हो पाई । उसके बावजूद अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। जब अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अपीलाधीन आदेश की आड में जबरन वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी तब जाकर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई तब अधिवक्ता से अपीलार्थी ने सम्पर्क किया एवं निर्णय की प्रति प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की । इस आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किये जाने का निवेदन किया।

5. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने तहसीलदार, भूमिधारी को पक्षकार नहीं बनाया ।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं न्यायालय हाजा में प्रस्तुत छाया प्रति नक्शा ट्रेश का अवलोकन किया । जिसके अनुसार मौजा मारवों का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा तहसील आसीन्द के गत सेटलमेण्ट की आराजी नम्बर 374/58 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि जमाबंदी संवत 2035 से 2038 में देवा, बालू, लादू, रामा, श्यामा, मोहन पिता धन्ना , मु0 नन्दु बेवा धन्ना, व मोडा पिता कजोड तेली के नाम पर दर्ज होना प्रमाणित होता है। भू प्रबन्ध द्वारा निर्मित मिलान क्षेत्रफल में साबिक आराजी नम्बर 374/58 के नवीन नम्बर 432, 433, व 435 कायम किये गये। उक्त नवीन नम्बर में से हाल आराजी नम्बर 433 व 435 को तो वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया परन्तु आराजी नम्बर 432 रकबा 0.21 हे0 को बिलानाम सरकार दर्ज किया गया । जबकि पुराने नक्शे एवं हाल नक्शा ट्रेस का मिलान करने पर हाल आराजी नम्बर 432 रकबा 0.21 हे0 भी साबिक आराजी नम्बर 374/58 से बनना प्रमाणित होता है।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण राजस्व रेकार्ड के आधार पर जो निर्णय पारित किया गया है वह राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर निर्णय पारित किया गया है परन्तु साबिक आराजी नम्बर 374/58 वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड थी । इसलिए साबिक आराजी नम्बर 374/58 से बनने वाले नम्बर 432, 433 व 435 तीनों ही नम्बर वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज किये जाने चाहिये थे। परन्तु सहवन से आराजी नम्बर 432

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 0.21 हे0 को बिलानाम काबिलकाश्त दर्ज किया गया जिसे दुरूस्ती के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी नम्बर 432 रकबा 0.21 हेक्टेयर को वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने चाहिये थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अकेले वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

10. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.3.2012 को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी नम्बर 432 रकबा 0.21 हेक्टेयर को वादी एवं प्रतिवादीगण को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28.9.18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमति निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/216/2014

उनवान

1. देवा पिता धन्ना तेली निवासी मारवों का खेडा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. बालू पिता धन्ना तेली निवासी मारवों का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. लादू पिता धन्ना तेली निवासी मारवों का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. रामा पिता धन्ना तेली निवासी मारवों का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. श्यामा पिता धन्ना तेली निवासी मारवों का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. मोहन पिता धन्ना तेली निवासी मारवों का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
6. मोडा पिता कजोड तेली निवासी मारवों का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 300/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.3.2012

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/216/2014** मे **उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 28.9.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री बी एल गुर्जर वकील एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल अजमेरा, लादू लाल गुर्जर, विजय जीनगर, एवं राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति मे दिनांक 28.9.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.3.2012 को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी नम्बर 432 रकबा 0.21 हेक्टेयर को वादी एवं प्रतिवादीगण को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 28.9.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

28/9/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस